सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों की पासबुक भिजवाने के निर्देश

झुंझुनू, 30 जनवरी : आगामी 5 वर्षो तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक पूर्ण करने के उद्देश्य से बीमा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की उप निदेशक सरीता सैनी ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में वर्ष 2018 से 31 मार्च 2023 तक सेवानिवृत हो रहे कार्मिकों की पासबुक उक्त कार्यालय को भिजवा सुनिश्चित करें।